HRA Sazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-्खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2012/माघ 17, 1933

No. 481

372 GI/2012

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2012/MAGHA 17, 1933

अध्यक्ष

सदस्य

(1)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनयम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1693(अ), तारीख 3 अक्तूबर, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

- 2. उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा के अधीन मद सं. 1, 2, 3, 4 और 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
- "(1) श्री आर. एस. शर्मा भूतपूर्व अध्यक्ष ओएनजीसी, ए-1,701, दि वर्ल्ड स्पा (ई), सेक्टर 30, गुड़गांव-122001
- (2) श्री नवरंग सैनी, प्रादेशिक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय, कोलकाता-700025
- (3) सुश्री नंदना मुंशी, सदस्य वाणिज्यिक संपरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, संपरीक्षा बोर्ड-1, कोलकाता नं 1, कौन्सिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001

- (4) श्री वी. कल्याणरमण,पूर्व अध्यक्षभारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान
- (5) श्री कुणाल बनर्जी, * सदस्य" पूर्व अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान

[फा. सं. 2/23/2006-पीआई] मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

-सदस्य

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2012

GS.R. 69(E).—In exercise of the powers conferred by Section 29A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government, with effect from the date of publication in the Official Gazette, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 1693(E), dated the 3rd October, 2007, namely:—

- 2. In the said notification under the opening paragraph, against the item numbers 1, 2, 3, 4 and 5, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—
- "(1). Shri R. S. Sharma, ——Chairperson Ex-Chairman, ONGC, A-1, 701, The World Spa (E), Sector 30, Gurgaon-122001

.

- (2) Shri Navrang Saini, ——Member Regional Director (Eastern Region), Ministry of Corporate Affairs, Kolkata-700025
- (3) Ms. Nandana Munshi, —Member Pr. Director of Commercial Audit & ex-officio Member, Audit Board-1, Kolkata, No.1, Council House Street, Kolkata-700001
- (4) Shri V. Kalyanaraman, ——Member Past President, Institute of Cost and Works Accountants of India
- (5) Shri Kunal Banerjee, —Member"
 Past President,
 Institute of Cost and Works Accountants
 of India

[F. No. 2/23/2006-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.